<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़</u>

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2019/00208 (208/2019) 223 आरओएक्ट

भागीरथ पुत्र केसूराम जाति मेधवाल निवासी भूरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। —<u>अपीलाण्ट</u>

बनाम

1. देवीलाल उम्र 47 वर्ष
2. धन्नाराम उम्र 45 वर्ष
3. मनीराम उम्र 43 वर्ष

} पुत्रगण स्व0 श्री जीसुखराम पुत्र स्व0 श्री बेगाराम जाति नायक निवासीगण नौरंगदेसर, तहसील व जिला हनुमानगढ

4. मीरादेवी पत्नी स्व0 श्री जीसुखराम पुत्र स्व श्री बेगाराम उम्र 70 वर्ष जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. सुभाष
6. इन्द्राज

} पुत्रगण स्व0 श्रीनत्थूराम पुत्र स्व0 श्री बींझाराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

7. दीपाराम
8. मांगीलाल

} पुत्रगण स्व0 श्रीश्योपतराम पुत्र स्व0 श्री बींझाराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

9. लिछमादेवी पत्नी
10. मदनलाल पुत्र
11. श्योप्रकाश

} स्व0 श्री भोमाराम जाति नायक निवासीगण नौरंगदेससर तहसील व जिला हनुमानगढ।

12. गोगादेवी पुत्री स्व0 भोमाराम पत्नी श्री रूपराम
13. शीलो पुत्री स्व0 श्री भोमाराम पत्नी अनिल

} जाति नायक निवासी सरदारपुरा जीवन जिला श्रीगंगानगर

14. शारदा पत्नी स्व0 श्री बद्रीराम
15. शिवभगवान पुत्र स्व0 श्री बद्रीराम

} जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।

16. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री जीसुखराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
17. विद्यादेवी पुत्री स्व0 श्री जीसुखराम पुत्र स्व0 श्री बेगाराम पत्नी श्री चन्दूराम पुत्र हुक्माराम उम्र 52 वर्ष जाति नायक निवासी चक 6 एचएलएम तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
18. गोपीराम पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ मुंशीराम जाति नायक निवासी किशनपुरा दिखनादा तहसील व जिला हनुमानगढ।
19. देवताराम पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ मुंशीराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ।
20. दुलाराम पुत्र स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ मुंशीराम जाति नायक निवासी चक 28 एनडीआर तहसील व जिला हनुमानगढ।
21. सन्तरो देवी पुत्री स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ मुंशीराम पत्नी श्री कृष्ण राम जाति नायक निवासी मटीलीराठान, तहसील केसरीसिंहपुर, जिला श्रीगंगानगर।
22. परमादेवी पुत्री स्व0 श्री पृथ्वीराज उर्फ मुंशीराम पत्नी चेतराम जाति नायक निवासी पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

23. चिमनाराम } पुत्रगण स्व0 श्री बृजलाल जाति नायक निवासी चक साजनवाला
24. भोलाराम } तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
25. पातो देवी पत्नी भूराराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तह0 व जिला हनुमानगढ
26. महेन्द्र पुत्र भूराराम
27. राकेश कुमार पुत्र भूराराम
28. रामलाल पुत्र भूराराम
29. नीमो पुत्री भूराराम
30. सुमन पुत्री भूराराम
} जाति नायक निवासी नौरंगदेसर तहसील व जिला हनुमानगढ
31. सावित्री पत्नी अर्जनराम } पुत्रगण भूराराम जाति नायक निवासी नौरंगदेसर
32. भालाराम पुत्र अर्जनराम } नाबालिग जरिये कुदरती वबली माता सावित्री पत्नी
33. मंजू पुत्री अर्जनराम } अर्जनराम पुत्र भूराराम जाति नायक निवासी
34. राधेश्याम पुत्र अर्जनराम } नौरंगदेसर
35. नाथीदेवी पत्नी स्व0 श्री मनफूल जाति नायक निवासी बाईयां तहसील एलनाबाद जिला सिरसा हरियाणा
36. मोमन पुत्र स्व0 श्री मनफूल जाति नायक निवासी बाइयां तहसील ऐलना बाद जिला सिरसा हरियाणा
37. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नौरंगदेसर जरिये शाखा प्रबन्धक
38. उपपंजीयक महोदय, हनुमानगढ।
39. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ। —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 16.09.2019 द्वारा सहायक कलक्टर हनुमानगढ अनवान देवीलाल बनाम सुभाष आदि प्र0सं0 057/2015

श्री रवि कुमार गोदारा अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र कुमार भोभिया अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः— 26.11.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट में पेश किया। वादपत्र में वादीगण व प्रतिवादीगण के पुर्वज बींझाराम, बेगाराम, सन्तुराम व रामरख पिसरान शेराराम के वादीगण व प्रतिवादीगण होना बताया तथा एक ही परिवार के सदस्य होना बताया और संयुक्त खानदान की चक 16 एनडीआर की 2.405 है0 व 13 आरपी की 2.405 है0 कुल 4.810 है0 भूमि में वादीगण ने अपने पिता स्व0 जीसुखराम व उसके भाईयों, पृथ्वीराज व बृजलाल के साथ 1/4 व वादीगण व प्रतिवादीगण 12 व 13 के पिता का देहान्त होना बता[illegible] प्रतिवादीगण 12 व 13 का कुल 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व घराघरू बंट[illegible] वादीगन ने अपने व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के कब्ज[illegible] चक 16 [illegible] 148/352 (55) किला नं. 16/0.253, 17/0.[illegible] भूमि कब्ज होने का कथन करते हुए भूमि का खातेदार घोषित करने व [illegible] अलग अलग कायम करने एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 के विरूद्ध कब्जा काश्त में नाजायज दखलंदाजी न करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 14 व 18 ने जवाब दावा पेश करके वाद को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

अस्वीकार किया। वाद के साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 आरओएक्ट स्वीकार करके वाद के प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दौराने वाद अपीलाण्ट ने मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 21, 22, 23, 24, 25 28, 29, 20 से भूमि खरीद करने के आधार पर पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 31 बनाया गया।

2. अपीलाण्ट ने मूल वाद में जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिसमें चक 16 एनडीआर तादादी 2.405 है0 व चक 13 आरपी तादादी 2.405 है0 कुल 4.810 है0 भूमि खरीद करना बताया। हिस्सा व बंटवारा अनुसार इस भूमि पर काबिज होना बताया। काउण्टर क्लेम का वादी ने काई जवाब पेश नही किया। तनकीयात कायम की गई। वादीगण व प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की। वादीगण का वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया मगर अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम साक्ष्य हेतु रखा गया। अपीलाण्ट द्वारा मोखिक साक्ष्य पेश की गई। अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्राथमिक डिक्री किया गया।

3. जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है। रेस्पोडेण्ट की तरफ से काई उपस्थित नहीं आया। अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4. विद्वान अधीवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट ने संयुक्त खाता की भूमि में कुल 2.235 है0 भूमि खरीद कर रखी है। केवल मात्र मृतक प्रतिवादी भूराराम का नाम दर्ज है। वादी अथवा किसी भी प्रतिवादी द्वारा अपीलाण्ट के काउण्टर क्लेम का विरोध नही किया गया है न ही कोई जवाब दिया गया है। वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब से भी यह तथ्य साबित है कि वादग्रस्त भूमि में बींझाराम के वारिसान को विभाजन में चक 16 एनटीआर की भूमि प्राप्त हुई व सन्तुराम एवं रामरख के वारिसान को चक 13 आरपी की भूमि प्राप्त हुई है व अपीलाण्ट चक 13 आरपी की भूमि 2.405 है0 व 2.235 है0 भूमि पर काबिज है व शेष .170 है0 भूमि पर रामरख के वारिस मनफूल पुत्र रामरख के वारिस काबिज हैं।

5. वादीगण का वाद उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय को केवलमात्र अपलाट के काउण्टर क्लेम का निर्णय पारित करने हेतु का निर्णय करना था। अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम को सबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी व मौखिक साक्ष्य में अपीलाण्ट के बयान करवाये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर का कलेम का वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। काउण्टर क्लेम में विशिष्ट किलों पर कब्जा होने का कथन किया है। अपीलाण्ट ने स्व0 सन्तुराम के सम्पूर्ण हिस्सा की व स्व0 रामरख के वारिसों के हिस्सा की भूमि खरीद की है व हिस्सा अनुसार चक 13 आरपी की कुल 2.405 है0 में से 2.235 है0 पर काबिज है। चक 13 आरपी की शेष भूम स्व0 रामरख के वारिस स्व0 मनफूल के वारिस काबिज है इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि चक 13 आरपी की 2.235 है0 भूमि हिस्सा अनुसार अपी[illegible] व उक्त भूमि का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है।[illegible] अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त कर अपने कब्जा का[illegible] भूमि का ख[illegible] घोषित किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

7\. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीएक्ट में पेश किया। वादपत्र में संयुक्त खानदान की चक 16 एनडीआर की 2.405 है0 व 13 आरपी की 2.405 है0 कुल 4.810 है0 भूमि में वादीगण ने अपने पिता स्व0 जीसुखराम व उसके भाईयों, पृथ्वीराज व बृजलाल के साथ 1/4 व वादीगण व प्रतिवादीगण 12 व 13 के पिता का देहान्त होना बताया वादीगण व प्रतिवादीगण 12 व 13 का कुल 1/4 हिस्सा में से 1/3 हिस्सा व एवं घराधरू बंटवारा अनुसार वादीगण ने अपने व प्रतिवादी संख्या 12 व 13 के कब्जा काश्त में चक 16 एनडीआर प0 नं0 148/352 (55) किला नं. 16/0.253, 17/0.164 कुल 0. 417 है0 (1.13) भूमि कब्जा होने का कथन करते हुए भूमि का खातेदार घोषित करने व खाता अलग अलग कायम करने एवं प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 के विरूद्ध कब्जा काश्त में नाजायज दखलंदाजी न करने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 14 व 18 ने जवाब दावा पेश करके वाद को अस्वीकार किया। दौराने वाद अपीलाण्ट ने मूल वाद के प्रतिवादी संख्या 21, 22, 23, 24, 25 28, 29, 20 से भूमि खरीद करने के आधार पर पक्षकार बनने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया। अपीलाण्ट को मूल वाद में प्रतिवादी संख्या 31 बनाया गया।

8\. वादीगण का वाद उपस्थित नहीं आने के कारण खारिज कर दिया व प्रतिवादी संख्या 14 ता 18 ने कोई साक्ष्य पेश नहीं की उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। विचारण न्यायालय को केवल मात्र अपीलाट के काउण्टर क्लेम का निर्णय अपेक्षित था। काउण्टर क्लेम को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी व मौखिक साक्ष्य में अपीलाण्ट के बयान करवाये गये हैं। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर का कलेम का वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। काउण्टर क्लेम में विशिष्ट किलों पर कब्जा होने का कथन किया है। अपीलाण्ट ने स्व0 सन्तुराम के सम्पूर्ण हिस्सा की व स्व0 रामरख के वारिसों के हिससा की भूमि खरीद की है व हिस्सा अनुसार चक 13 आरपी की कुल 2.405 है0 में से 2.235 है0 पर काबिज है। चक 13 आरपी की शेष भूमि स्व0 रामरख के वारिस स्व0 मनफूल के वारिस काबिज है इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि चक 13 आरपी की 2.235 है0 भूमि हिस्सा अनुसार अपीलाण्ट काबिज है व उक्त भूमि का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने योग्य है।

9\. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.09.2019 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाता है एवं अपीलाण्ट को चक 13 आरपी प0 नं0 148/359 (16) के किला नं. 16 [illegible] किला नं. 21/2/ .058, 22/2/.228, 23/2/.228, 24/2/.228, 25 [illegible] कुल 2.235 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया [illegible] चक 13 [illegible] शेष भूमि व 16 एनडीआर की 2.405 है0 भूमि से [illegible] अराराम पुत्र रामरख का नाम कलमजन किया जावे व अपीलाण्ट के हिस्से [illegible] बैंक ऋण राशि जमा होने पर आदेश की पालना की जावे। शेष काश्तकारों का बेंक ऋण यथावत रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हो। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 26.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

26/11/20

(करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.03.22 13:53:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner